109

न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म॰प्र॰

श्रीमती इन्द्रा सिंह पति श्री दिवाकर सिंह उम्र 60 साल पेशा घरू कार्य, निवासी शान्ती मण्डप के पीछे रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा म॰प्र॰ ------- निगरानी कर्ता

Rs 801 बनाम III/निग./रीवा/भू॰रा./2017/2062

1॰ म॰प्र॰ शासन

2॰ श्री मती किरण सिंह पति श्री शैलेन्द्र सिंह उम्र 48 साल, पेशा घरू कार्य, सा0 ग्राम खटिया तहसील त्योंथर, जिला रीवा म॰प्र॰

3॰ शैलेन्द्र सिंह तनय श्री अंजनी कुमार सिंह उम्र 54 साल, पेशा कृषि, निवासी ग्राम खटिया तह0 त्योंथर जिला रीवा -- गैरनिगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री अरुणेन्द्र मिश्र द्वारा पेश 29.6.17

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल चाक के द्वारा किए गये अवैध नक्शा तरमीम दिनांक 6॰8॰13 को अपास्त किए जाने बावत निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰ भू॰ रा॰सं॰ 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यह कि निगरानी कर्ता आराजी नं0 47/2 रकबा 0॰202 हे0 स्थित ग्राम खटिया प0 ह0 चदई, रा0 नि0 मं0 चाक तहसील त्योंथर जिला रीवा, की भूमिस्वामी राजस्व अभिलेख मे दर्ज है तथा गैरनिगरानी कर्ता क्र0 2 आ0 नं0 47/1 रकबा 0॰202 हे0 तथा गैरनिगरानी कर्ता क्र0 3 आ0 नं0 47/3 की भूमिस्वामी दर्ज राजस्व अभिलेख मे है। उक्त भूमियां तहसील त्योंथर, अन्तर्गत ग्राम खटिया में स्थित है।

2- यह कि निगरानी कर्ता व गैरनिगरानी कर्ता क्र0 2 व 3 की भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग -27 के किनारे लगी हुई है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ीकरण के लिए निगरानी कर्ता की भूमि नं0 47/2 का अंश रकबा 0॰027 हे0 भूमि को भू-अर्जन द्वारा अधिग्रहीत किया गया था

इन्द्रा सिंह

2 पेज पर॰

इन्द्रा सिंह

कब्जे की स्थिति के विपरीत ... दखील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक ।।।/निग./रीवा/भू.रा./2017/2062

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त चाक तहसील त्योंथर जिला रीवा दारा किये गये नक्शा तर्मीम दिनांक 6-8-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 6-8-2013 को ग्राम खटिया की भूमि सर्वे कमांक 47 का नक्शा तर्मीम किया है। तर्मीम आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित होता है एंव संहिता की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित आदेश अपील योग्य है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी सुनवाई-योग्य न होने से निरस्त की जाती है । सदस्य	